प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.02.2025

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा महिला के साथ टप्पेबाजी करने वाले अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार, कब्जे से 5200/- रूपये मय घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल बरामद।

दिनांक 09.02.2025 को वादी श्रीमती चंदा देवी पत्नी श्री नागेश्वर शाह निवासी शनि मन्दिर नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद ने सूचना दी कि मै हिमालय तनिष्क सोसायटी से काम करके घर के लिए निकली थी वही सीएनजी पम्प के सामने कुछ अज्ञात लडको ने मेरे साथ टप्पेबाजी (ठगी) करके मेरे कान के कुण्डल व जीतिया व 5000/- रूपये ले लिये, उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 13.02.2025 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तगण को एमसीटी फार्म हाउस से आगे मोड के पास से मय घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल स्पेलेण्डर बिना नम्बर प्लेट चेसिस नं0- MBLHAW220SGA11045 व इंजन नं0- HA11E7SGA11023 व 5200/- रूपये सहित गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण ने पूछताछ की गयी तो तीनो ने एक स्वर में बताया कि साहब हम टप्पेवाजी करते है दिनांक 09.02.2025 को हम तीनो लोग इसी मोटरसाईकिल पर सवार होकर सीएनजी पैट्रोल पम्प के पास यू टर्न पर एक महिला को रोककर उसके साथ टप्पेवाजी कर एवं धोखाधडी से उससे दो कानो के कुण्डल, एक गले का जीतिया एवं 5,000 रुपये नगद लेकर चले गये थे। जिसके बाद हम तीनो ने राह चलते व्यक्तियो को दो कुण्डल व जितिया को बेच दिया था। उपरोक्त सामानो को बेचने के बाद जो रूपये हमें प्राप्त हुए थे वो आपस में हम तीनो ने बांट लिये थे। हम जुये एवं नशे पत्ते की आदत है जिस कारण साहव इन्ही रुपयो में से हमने जुये एवं नशे पत्ते में खर्च कर दिये थे। जो शेष रुपये हम तीनो पर बचे थे बो हम लोगो से आपको हमारी जेवो मे से मिल गये है।

अभि0 का नाम व पता—

1. कासिब पुत्र रवी मोहम्मद निवासी चांद वाली झुग्गी, सम्राट चौक,थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीव 19 वर्ष
2. सुल्तान अली पुत्र शाकिर अली निवासी चांद वाली झुग्गी , सम्राट चौक, थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीव 22 वर्ष
3. हिजारत पुत्र फिदा हुसैन निवासी चांद वाली झुग्गी, सम्राट चौक, थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त हिजारत उपरोक्त के विरूद्ध थाना विजय पर एक अभियोग बल्वे से संबंधित व थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग टप्पेबाजी संबंधि कमिश्नरेट गाजियाबाद कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।

2. अभियुक्त सुल्तान अली के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर एक अभियोग टप्पेबाजी संबंधी पंजीकृत है।

3. अभियुक्त कासिब अली के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर एक अभियोग टप्पेबाजी संबंधी पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

1. एक मोटर साईकिल स्पेलेण्डर

2. 5200/- रूपये

गिरफ्तार करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा डकैती करने वाले 05 अभियुक्तगण मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 690 रूपये नगद, 03 रोकड बही,02 अदद चाबी के सेट व अन्य कागजात, 02 अदद मोटर साईकिल व अवैध असलाह बरामद।

दिनांक 13.02.2025 की रात्रि को थाना मुरादनगर क्षेत्रान्तर्गत एक व्यापारी व कर्मचारी से 06 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली चलाते हुये पैसो का थैला व हिसाब का बहीखाता व दुकान की चाबी, गोदाम की चाबी लेकर मौके से भाग गये थे जिसके सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 14.02.2025 को स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुरादनगर कस्बा की तरफ से आ रही दो मोटर साईकिल पर सवार कुल 06 लडको को रोकने का प्रयास किया तो नही रुके मोटर साईकिलो को रेगूलेटर गंगनहर की तरफ तेजी से मोड़ भाग निकलने संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया जैसे ही पुलिस टीम मोटर साईकिलो के नजदीक पहुँची तो मोटर साईकिल पर सवार व्यक्तियों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर सीधा फायर कर दिया , आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायर किया गया जिसमें 04 बदमाश घायल होकर गिर पडे। पुलिस द्वारा नाम पता पूछने पर घायल बदमाशो के नाम 1. शाहरुख पुत्र साबर 2. अभिषेक जाटव पुत्र जगपाल नि0 गण बरात घर के पास टीला सहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 3. नदीम पुत्र शौकीन अल्वी निवासी टोली मोहल्ला लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 4. शिवांश पुत्र तिलकराम नि0 डी 3 /280 गली no 18 A हर्ष विहार दिल्ली मूल पता ऊंचा मोहला कैसेरूखेरा थाना लाल कुर्ती मेरठ बताया तथा पांचवा व्यक्ति हरीश उर्फ विशाल कश्यप पुत्र कल्लू कश्यप नि0 कृष्णा विहार थाना लोनी बॉर्डर को काम्बिंग के दौरान हिरासत में लिया गया तथा एक व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भाग गया । घायल बदमाशो को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब कल दिनांक 13.02.2025 की रात्रि को हम पांचो व हमारे 02 अन्य साथियो ने मिलकर मौहल्ला ब्रह्मनान डा0 नानकचन्द्र वाली गली कस्बा मुरादनगर में दो व्यक्तियों से बैंग छीने थे बैग छीनते समय नदीम की पिस्टल से गोली चलने से एक व्यक्ति घायल हो गया था। घटना करके हम लोग पुलिस मूवमेंट के कारण कस्बे में ही छिपे थे आज सुबह आवागमन कम होने पर हम मोटर साईकिलो से निकले थे कि पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. शाहरुख उम्र 25 वर्ष पुत्र साबर नि0 बरात घर के पास टीला सहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद-घायल
2. अभिषेक जाटव उम्र 25 वर्ष पुत्र जगपाल नि0 बरात घर के पास टीला सहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद-घायल
3. नदीम उम्र 25 वर्ष पुत्र शौकीन अल्वी निवासी टोली मोहल्ला लोनी थाना लोनी गाजियाबाद- घायल
4. शिवांश उम्र 25 वर्ष पुत्र तिलकराम नि0 डी 3 /280 गली no 18 A हर्ष विहार दिल्ली मूल पता ऊंचा मोहला कैसेरूखेरा थाना लाल कुर्ती मेरठ-घायल
5. हरीश उर्फ विशाल कश्यप उम्र 23 वर्ष पुत्र कल्लू कश्यप नि0 कृष्णा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त नदीम उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली में चोरी के 03 अभियोग, थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी, गैंगस्टर के 04 अभियोग, थाना लोनी पर आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग थाना मुरादनगर पर डकैती/मुठभेड के 02 अभियोग पंजीकृत है अभियुक्त शाहरुख, अभिषेक जाटव, शिवांश, हरीश उर्फ विशाल के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर डकैती/मुठभेड के 02 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

690 रूपये नगद व 03 रोकड बही

02 अदद मोटर साईकिल

एक अदद पिस्टल .32 बोर, तीन अदद तमन्चा .315 बोर नाजायज

03 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 03 अदद खोखा कारतूस .315 बोर नाजायज

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त छुरी बरामद।

दिनांक 12.02.2025 को थाना लोनी पर वादी महबूब पुत्र श्री मुन्तियाज निवासी ग्राम चिरौड़ी थाना लोनी जिला गा0बाद द्वारा तहरीर दी कि अभियुक्त जावेद उर्फ गोविन्दा पुत्र मकशूद व 02 अन्य निवासी गण ग्राम चिरौड़ी थाना लोनी जिला गा0बाद द्वारा वादी के पुत्र जावेद उम्र करीब 25 साल को जान से मारने की नियत से चाकू/छुरी से वार कर गम्भीर रूप से घायल कर देना व धमकी देना। जिस पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धारा-109/351(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 14.02.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जावेद उर्फ गोविन्दा पुत्र मकसूद निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र चिरौडी से मय घटना में प्रयुक्त छुरी सहित गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा वादी के पुत्र जावेद उपरोक्त पक्ष से पुरानी बातो को लेकर विवाद है। जावेद ने मेरे साथ पूर्व में कई बार मारपीट की थी। जिस बात की रंजिश को लेकर मैंने मौका पाकर अपना बदला लेने के लिए दिनांक 12.02.2025 को जावेद पर जान से मारने की नियत से छुरी से सिर व चेहरे पर वार किया और धमकी देकर मौके से भाग गया था। मैं पूर्व में थाना लोनी से वाहन चोरी के मुकदमे मे जेल गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

जावेद उर्फ गोविन्दा पुत्र मकसूद निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद, उम्र 29 वर्ष

आपराधिक इतिहास

थाना लोनी पर अभि0 के विरूद्ध वाहन चोरी, बरामदगी व हत्या के प्रयास/धमकी के संबंध में 02 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त एक अदद छुरी बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा पंजीकृत अभियोग में प्रकाश में आये 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 09.02.2025 की रात्रि में वादिया ने थाना अंकुर विहार पर एक तहरीर दी गई कि अभियुक्त सरफराज द्वारा मेरी नाबालिग बेटी उम्र करीब 16 वर्ष को होटल में ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाना। जिसके सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा-123 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 10.02.2025 को पीडिता के बयानों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 65(1) बीएनएस

व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। दिनांक 13.02.2025 को मुकदमा उपरोक्त में धारा-319(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी एवं बाल अपचारी का नाम प्रकाश में आया। पूर्व में दिनांक 11.02.2025 को मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त सरफराज पुत्र मौ0 शब्बीर निवासी मोहल्ला कासिम विहार, साहिल डेयरी अख्तर मीट वाली गली, थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष को सभापुर कट के नीचे, थाना अंकुर विहार से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 14.02.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर बाल अपचारी द्वारा बताया गया कि सरफराज और मैं आपस में दोस्त थे। हम दोनों की पीडिता से करीब 02 सप्ताह पूर्व इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। दिनांक 05.02.2025 को शाम के समय मेरे दोस्त सरफराज ने पीडिता को फोन करके बुद्धबाजार में बुलाया था तो पीडिता अपने घर पर बाजार जाने का बहाना करके हमारे साथ आ गयी थी। हम तीनो ऑटो से एक होटल, अंकुर विहार में पहुँचे वहाँ पर मैंने अपनी व पीडिता की दूसरे नाम से आईडी लगाई थी। फिर वहाँ पर हमने पीडिता को कोल्ड ड्रिंक में एक नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गलत काम किया था।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा पूर्व में हत्या का 01 अभियोग थाना भजनपुरा दिल्ली में पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 11.02.2025 की रात्रि में लिकर होम क्लब हाउस/वार में अन्दर जाने से रोकने पर गौरीशंकर एन्कलेव थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में मारपीट व फायरिंग की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 12.02.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि गौरीशंकर एन्कलेव थाना शालीमार गार्डन के रहने वाले सारिक उर्फ शोबी मलिक पुत्र हारुन निवासी गौरीशंकर एन्कलेव थाना शालीमार गार्डन जिनका थाना कौशाम्बी क्षेत्र में लिकर होम के नाम से क्लब हाउस / वार है। जिसमें दिनांक 11.02.2025 की रात्रि रिजवान पुत्र कलूआ चौहान निवासी गौरीशंकर एन्कलेव थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद अपने साथी सलमान, तौसीन व अन्य एक साथी के साथ शराब पीने के लिये लिकर होम क्लब हाउस /वार में अन्दर जा रहे थे। क्लब के मालिक सारिक उर्फ शोबी मलिक के द्वारा वार में जगह न होने के कारण वार के अन्दर जाने से मना किया गया इस बात पर वार के मालिक सारिक उर्फ शोबी मलिक व उसके पड़ोसी रिजवान व उसके अन्य साथियों में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। रिजवान सारिक उर्फ शोबी मलिक को धमकी देकर वापस अपने घर गौरीशंकर एन्कलेव आ गया। क्लब मालिक सारिक उर्फ शोबी मलिक के रात्रि में घर आने पर दोनो पक्षों में रिजवान व उसके साथियों को वार में एन्ट्री न देने की बात को लेकर सारिक उर्फ शोबी मलिक पक्ष के सारिक उर्फ शोबी मलिक, फिरोज, फईम व 5-6 अन्य अज्ञात व्यक्ति व रिजवान पक्ष के रिजवान, सलमान, कबीर, कलुआ चौहान, तौसीन व अन्य 5-6 अज्ञात व्यक्तियों ने आपस में मारपीट गाली गलौच करते हुऐ मारपीट व एक दूसरे को डराने की नीयत से फायरिंग की गई।

तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा 191(2),191(3),115(2),352,131,125,351(2),351(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 14.02.2025 को उक्त घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तगण 1. सलमान पुत्र छोटन पता B-283 मैन शालीमार गार्डन थाना

शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष, 2. रिजवान पुत्र कलुआ पता म0न0 B-282 मैन शालीमार गार्डन थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष व 3. तौसीन पुत्र अव्दुल अजीज पता म0न0 A-12 मैन शालीमार गार्डन थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को गौरीशंकर एन्कलेव गेट नं0-3 के पास से गिरफ्तार किया गया। पूर्व में घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त सारिक उर्फ शोबी मलिक व फिरोज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास जारी है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>:-गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि रिजवान पुत्र कलूआ चौहान निवासी गौरीशंकर एन्कलेव थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद अपने साथी सलमान, तौसीन व अन्य एक साथी के साथ शराब पीने के लिये लिकर होम क्लब हाउस वार में अन्दर जा रहे थे। क्लब के मालिक सारिक उर्फ शोबी मलिक के द्वारा वार में जगह न होने के कारण वार के अन्दर जाने से मना कर दिया गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमलावर होते हुऐ एक दूसरे पर डराने की नीयत से पथराव करते हुऐ हवाई फायरिंग की गई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-</u>

1. सलमान पुत्र छोटन पता B-283 मैन शालीमार गार्डन थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।
2. रिजवान पुत्र कलुआ पता म0न0 B-282 मैन शालीमार गार्डन थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।
3. तौसीन पुत्र अव्दुल अजीज पता म0न0 A-12 मैन शालीमार गार्डन थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहासः-</u>

- गिरफ्तार अभियुक्त सलमान पुत्र छोटन उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर मारपीट कर हवाई फायरिंग करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर दुष्कर्म व छेड़खानी करने के सम्बन्ध में 02 अभियोग, थाना हापुड़नगर जनपद हापुड़ में चोरी, चोरी का माल बरामद होने व गैंगस्टर एक्ट के सम्बन्ध में 03 अभियोग पंजीकृत है। कुल 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान पुत्र कलुआ उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर मारपीट कर हवाई फायरिंग करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त तौसीन पुत्र अव्दुल अजीज उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर मारपीट कर हवाई फायरिंग करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा ई-रिक्शा चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे चोरी का 01 ई-रिक्शा व बैटरी को बेचकर प्राप्त 4,000/- रूपये बरामद।

<u>कार्यवाही का विवरण</u>: दिनांक 13.02.2025 को थाना लिंकरोड़ पर वादी श्री आजाद पुत्र सलीम द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 13.02.2025 की शाम के समय जब मैंने अपना ई-रिक्शा देखा तो नही मिला मेरा ई-रिक्शा किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना लिंकरोड़ पर अभियोग पंजीकृत है। उक्त प्रकरण के संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 14.02.2025 को थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर ई-रिक्शा चोरी करने वाले 01 अभियुक्त प्रदीप पुत्र उदयवीर पाल निवासी ग्राम भषसण नसारा थाना फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव हाल पता म0न0 204 बृजबिहार थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष को बीएल कम्पनी के सामने बिजली घर के पास से चोरी का 01 ई-रिक्शा व बैटरी को बेचकर प्राप्त 4,000/- रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त

प्रदीप पुत्र उदयवीर पाल उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप पुत्र उदयवीर पाल उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा दिनांक 13.02.2025 को सूर्यनगर गेट के पास से 01 ई-रिक्शा चोरी किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा ई-रिक्शा बैटरी को राह चलते हुए व्यक्ति को बेच दी। बैटरी बेचकर अभियुक्त उपरोक्त को पैसे प्राप्त हुए उनमें से 4,000/- रूपये अभियुक्त उपरोक्त से बरामद हुए। आज अभियुक्त उपरोक्त इस ई-रिक्शा को बेचने जा रहा था। अभियुक्त उपरोक्त नशा करने का आदी है। नशे की पूर्ति के लिये चोरी करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-
प्रदीप पुत्र उदयवीर पाल निवासी ग्राम भषसण नसारा थाना फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव हाल पता म0न0 204 बृजबिहार थाना लिकंरोड गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी का 01 ई-रिक्शा व बैटरी को बेचकर प्राप्त 4,000/- रूपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-
गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप पुत्र उदयवीर पाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-
थाना लिंकरोड पुलिस टीम।